THE DRUGS AND MAGIC REMEDIES (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) ACT, 1954

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS

1.Short title, extent and commencement.
2.Definitions.
3.Prohibition of advertisement of certain drugs for treatment of certain diseases and disorders.
4.Prohibition of misleading advertisements relating to drugs.
5.Prohibition of advertisement of magic remedies for treatment of certain diseases and disorders.
6.Prohibition of import into, and export from, India of certain advertisements.
7.Penalty.
8.Powers of entry, search, etc.
9.Offences by companies.
9A. Offences to be cognizable.
10.Jurisdiction to try offences.
10A. Forfeiture.
11.Officers to be deemed to be public servants.
12.Indemnity.
13.Other laws not affected.
14.Savings.
15.Power to exempt from application of Act.
16.Power to make rules.

THE SCHEDULE.

THE DRUGS AND MAGIC REMEDIES (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) ACT, 1954

ACT NO. 21 OF 1954[1]

An Act to control the advertisement of drugs in certain cases, to prohibit the advertisement for certain purposes of remedies alleged to possess magic qualities and to provide for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(*1*) This Act may be called the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954.

(*2*) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir, and applies also to persons domiciled in the territories to which this Act extends who are outside the said territories.

(*3*) It shall come into force on such date[2] as the Central Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) „advertisement" includes any notice, circular, label, wrapper or other document, and any announcement made orally or by any means of producing or transmitting light, sound or smoke;

(*b*) „drug" includes—

(*i*) a medicine for the internal or external use of human beings or animals;

(*ii*) any substance intended to be used for or in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of disease in human beings or animals;

(*iii*) any article, other than food, intended to affect or influence in any way the structure or any organic function of the body of human beings or animals;

(*iv*) any article intended for use as a component of any medicine, substance or article, referred to in sub-clauses (*i*), (*ii*) and (*iii*);

(*c*) „magic remedy" includes a talisman, *mantra, kavacha*, and any other charm of any kind which is alleged to possess miraculous powers for or in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease in human beings or animals or for affecting or influencing in any way the structure or any organic function of the body of human beings or animals;

[3][(*cc*) „registered medical practitioner" means any person,—

(*i*) who holds a qualification granted by an authority specified in, or notified under section 3 of the Indian Medical Degrees Act, 1916 (7 of 1916) specified in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956); or

(*ii*) who is entitled to be registered as a medical practitioner under any law for the time being in force in any State to which this Act extends relating to the registration of medical practitioner;]

(*d*) „taking any part in the publication of any advertisement" includes—

(*i*) the printing of the advertisement,

1. This Act has been extended to Pondicherry by Reg. 7 of 1963, sec. 3 and Sch. I (w.e.f. 1-10-1963), and extended to the State of Sikkim, *vide* S.O. 949 (E), dated 20th October, 1988.

2. 1st April, 1955, *vide* notification No. S.R.O. 511, dated 26th February, 1995, *see* Gazette of India, 1955, Part II, s. 3.

3. Ins. by Act 42 of 1963, s. 2 (w.e.f. 7-12-1963).

(*ii*) the publication of any advertisement outside the territories to which this Act extends by or at the instance of a person residing within the said territories;

[1]* * * * * *

3. Prohibition of advertisement of certain drugs for treatment of certain diseases and disorders.—Subject to the provisions of this Act, no person shall take any part in the publication of any

advertisement referring to any drug in terms which suggest or are calculated to lead to the use of that drug for—

(*a*) the procurement of miscarriage in women or prevention of conception in women; or

(*b*) the maintenance or improvement of the capacity of human beings for sexual pleasure; or

(*c*) the correction of menstrual disorder in women; or

2[(*d*) the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease, disorder or condition specified in the Schedule, or any other disease, disorder or condition (by whatsoever name called) which may be specified in the rules made under this Act:

Provided that no such rule shall be made except—

(*i*) in respect of any disease, disorder or condition which requires timely treatment in consultation with a registered medical practitioner or for which there are normally no accepted remedies; and

(*ii*) after consultation with the Drugs Technical Advisory Board constituted under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), and if the Central Government considers necessary, with such other persons having special knowledge or practical experience in respect of Ayurvedic or Unani systems of medicines as that Government deems fit.]

4. Prohibition of misleading advertisements relating to drugs.—Subject to the provisions of this Act, no person shall take any part in the publication of any advertisement relating to a drug if the advertisement contains any matters which—

(*a*) directly or indirectly gives a false impression regarding the true character of the drug; or

(*b*) makes a false claim for the drug; or

(*c*) is otherwise false or misleading in any material particular.

5. Prohibition of advertisement of magic remedies for treatment of certain diseases and disorders.—No person carrying on or purporting to carry on the profession of administering magic remedies shall take any part in the publication of any advertisement referring to any magic remedy which directly or indirectly claims to be efficacious for any of the purposes specified in section 3.

6. Prohibition of import into, and export from, India of certain advertisements.—No person shall import into, or export from, the territories to which this Act extends any documents containing an advertisement of the nature referred to in section 3 or in section 4 or section 5, and any document containing any such advertisements shall be deemed to be goods of which the import or export has been prohibited under section 19 of the Sea Customs Act, 1878 (8 of 1878), and all the provisions of that Act shall have effect accordingly, except that section 183 thereof shall have effect as if for the word „shall" therein the word „may" were substituted.

7. Penalty.—Whoever contravenes any of the provisions of this Act 3[or the rules made thereunder] shall, on conviction, be punishable—

(*a*) in the case of the first conviction, with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both;

1. Clause (*e*) omitted by Act 42 of 1963, s. 2 (w.e.f. 7-12-1963).
2. Subs. by s. 3, *ibid.,* for clause (*d*) (w.e.f. 17-12-1963).
3. Ins. by s. 4, *ibid.* (w.e.f. 17-12-1963).

(*b*) in the case of a subsequent conviction, with imprisonment which may extend to one year, or with fine, or with both.

1[**8. Powers of entry, search, etc.—**(*1*) Subject to the provisions of any rules made in this behalf, any Gazetted Officer authorised by the State Government may, within the local limits of the area for which he is so authorised,—

(*a*) enter and search at all reasonable times, with such assistants, if any, as he considers necessary, any place in which he has reason to believe that an offence under this Act has been or is being committed;

(*b*) seize any advertisement which he has reason to believe contravenes any of the provisions of this Act:

Provided that the power of seizure under this clause may be exercised in respect of any document, article or thing which contains any such advertisement, including the contents, if any, of such document, article or thing, if the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise, from such document, article or thing without affecting the integrity, utility or saleable value thereof;

(*c*) examine any record, register, document or any other material object found in any place mentioned in clause (*a*) and seize the same if he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of any offence punishable under this Act.

(*2*) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this Act as they apply to search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 98 or the said Code.

(*3*) Where any person seizes anything under clause (*b*) or clause (*c*) of sub-section (*1*), he shall, as soon as may be, inform a Magistrate and take his orders as to the custody thereof.]

9. Offences by companies.—(*1*) If the person contravening any of the provisions of this Act is a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against, and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director or manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer of the company, shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(*a*) „company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(*b*) „director" in relation to a firm means a partner in the firm.

[2][**9A. Offences to be cognizable.—**Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), an offence punishable under this Act shall be cognizable.]

1. Subs. by Act 42 of 1963, s. 5, for s. 8 (w.e.f. 7-12-1963).
2. Ins. by s. 6, *ibid*. (w.e.f. 7-12-1963).

10. Jurisdiction to try offences.—No Court inferior to that of a Presidency Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

[1][**10A. Forfeiture.—**Where a person has been convicted by any Court for contravening any provision of this Act or any rule made thereunder, the Court may direct that any document (including all copies thereof), article or thing, in respect of which the contravention is made, including the contents thereof where such contents are seized under clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 8, shall be forfeited to the Government.]

11. Officers to be deemed to be public servants.—Every person authorized under section 8 shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

12. Indemnity.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

13. Other laws not affected.—The provisions of this Act are in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

2[**14. Savings.—**Nothing in this Act shall apply to—

(*a*) any signboard or notice displayed by a registered medical practitioner on his premises indicating that treatment for any disease, disorder or condition specified in section 3, the Schedule or the rules made under this Act is undertaken in those premises; or

(*b*) any treatise or book dealing with any of the matters specified in section 3 from a *bonafide* scientific or social standpoint; or

(*c*) any advertisement relating to any drug sent confidentially in the manner prescribed under section 16 only to a registered medical practitioner; or

(*d*) any advertisement relating to a drug printed or published by the Government; or

(*e*) any advertisement relating to a drug printed or published by any person with the previous sanction of the Government granted prior to the commencement of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Amendment Act, 1963 (42 of 1963):

Provided that the Government may, for reasons to be recorded in writing, withdraw the sanction after giving the person an opportunity of showing cause against such withdrawal.]

15. Power to exempt from application of Act.—If, in the opinion of the Central Government, public interest requires that the advertisement of any specified drug or class of drugs 3[or any specified class of advertisements relating to drugs] should be permitted, it may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of sections 3,4,5 and 6 or any one of such provisions shall not apply" or shall apply subject to such conditions as may be specified in the notification to or in relation to the advertisement of any such drugs or class of drugs 3[or any such class of advertisements relating to drugs].

16. Power to make rules.—(*1*) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(*2*) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power; such rules may—

(*a*) specify any 4[disease, disorder or condition] to which the provisions of section 3 shall apply;

1. Ins. by Act 42 of 1963, s. 7 (w.e.f. 7-12-1963).
2. Subs. by s. 8, *ibid*., for section 14 (w.e.f. 7-12-1963).
3. Ins. by s. 9, *ibid.* (w.e.f. 17-12-1963).
5. Subs. by s. 10, *ibid*., for "disease or condition" (w.e.f. 7-12-1963).

(*b*) prescribe the manner in which advertisements of articles or things referred to in clause (*c*) of 1* * * section 14 may be sent confidentially.

2[(*3*) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]

3[THE SCHEDULE

[*See* sections 3(*d*) and 14]

S. No. Name of the disease, disorder or condition

1. Appendicitis.
2. Arteriosclerosis.
3. Blindness
4. Blood poisoning.
5. Bright"s disease.
6. Cancer
7. Cataract.

8. Deafness.
9. Diabetes.
10. Diseases and disorders of the brain.
11. Diseases and disorders of the optical system
12. Diseases and disorders of the uterus
13. Disorders of menstrual flow.
14. Disorders of the nervous system.
15. Disorders of the prostatic gland.
16. Dropsy.

1. The words, brackets and figure "sub-section (*1*) of" omitted by Act 42 of 1963, s. 10 (w.e.f. 7-12-1963).
2. Ins. by s. 10, *ibid.* (w.e.f. 7-12-1963).
3. Added by s. 11, *ibid*. (w.e.f. 7-12-1963).

S. No. Name of the disease, disorder or condition

17. Epilepsy.
18. Female diseases (in general)
19. Fevers (in general).
20. Fits.
21. Forms and structure of the female bust.
22. Gall stones, kidney stones and bladder stones.
23. Gangrene
24. Glaucoma.
25. Goitre.
26. Heart diseases.
27. High or low blood pressure.
28. Hydrocele.
29. Hysteria.
30. Infantile paralysis.
31. Insanity.
32. Leprosy.
33. Leucoderma.
34. Lockjaw.
35. Locomotor ataxia.
36. Lupus.
37. Nervous debility.
38. Obsesity.
39. Paralysis.
40. Plague.
41. Pleurisy.
42. Pneumonia.

S. No. Name of the disease, disorder or condition

43. Rheumatism.
44. Ruptures.
45. Sexual impotence.
46. Smallpox.

47. Stature of persons.

48. Sterility in women.

49. Trachoma.

50. Tuberculosis.

51. Tumours.

52. Typhoid fever.

53. Ulcers of gastrointestinal tracts.

54. Venereal diseases, including syphilis, gonorrhea, soft chancre, venereal granuloma and lympho granuloma.]

ओषधि और चमत् काररक उपचार (आक्षेपणीय धिज्ञापन) अधिधनयम, 1954

)1954 का अधिधनयम संख यांक **21(1**

[30 अप्रैल, **1954]**

कुछ दशाओं में ओषधियों के धिज्ञापन का धनयंत्रण करने के धलए,
ऐसे उपचारों के, धिनके बारे में यह अधिकधित है कक
उनमें चमत् काररक गुण हैं, कुछ प्रयोिनों के धलए
धिज्ञापन का प्रधतषेि करने के धलए, और
उससे सम् बध ित धिषयों का
उपबंि करने के धलए
अधिधनयम

1. संधक्षप् त नाम, धिस् तार और प्रारंि—(1) इस अधिधनयम का संधक्षप् त नाम ओषधि और चमत् काररक उपचार (आक्षेपणीय धिज्ञापन) अधिधनयम, 1954 है ।

(2) इसका धिस् तार,2*** सम् पूणण िारत पर है और यह ऐसे राज् यक्षेत्रों के, धिन पर इस अधिधनयम का धिस् तार है, अधििासी उन व् यध तयोंको िी लागू होता है, िो उ त राज् यक्षेत्रों के बाहर हैं ।

(3) यह ऐसी तारीख3 को प्रित्त होगा, धिसे के रीय सरकार, रािपत्र में अधिसूचना द्वारा धनयत करे ।

2. पररिाषाएं—इस अधिधनयम में, िब तक कक संदिण से अ यिा अपेधक्षत न हो,—

(क) "धिज्ञापन" के अ तगणत कोई सूचना, परररपत्र, लेबल, लपेटन, या अ य दस् तािेि, और मौधखक रूप से या प्रकाश, ध् िधन या िुआं उत् प न या पारेधषत करके, की गई घोषणा िी है;

(ख) "ओषधि" के अ तगणत धनम् नधलधखत है,—

(i) मनुष् यों या पशुओं के आ तररक या बाह्य उपयोग के धलए कोई औषि;

(ii) ऐसा कोई पदािण, िो मनुष् यों या पशुओं में रोग के धनदान, रोगमुध त, रोग का शमन, रोग की धचककत् सा या धनिारण के धलए, या उसमें, उपयोग के धलए आशधयत है;

(iii) खाद्य से धि न कोई िस् तु, िो मनुष् यों अििा पशुओं के शरीर की संरचना या ककसी आंधगक किया को ककसी िी प्रकार से प्रिाधित करने, या उस पर असर डालने के धलए आशधयत है;

(iv) कोई िस् तु, िो उपखण् ड (i), (ii), और (iii) में धनर्दणष् ट ककसी औषि, पदािण या िस् तु के घटक के रूप में प्रयोग के धलए आशधयत है;

(ग) "चमत् काररक उपचार" के अंतगणत है—ऐसा तधलस् मा, म त्र, किच और ककसी िी प्रकार का अ य िादू-टोना, धिसमें मनुष् यों अििा पशुओं के रोग के धनदान, रोगमुध त, रोग में कमी करने या रोग की धचककत् सा या धनिारण के धलए, या में, या मनुष् यों अििा पशुओं के शरीर की संरचना या ककसी आंधगक किया को ककसी िी प्रकार से प्रिाधित करने या उस पर असर डालने के धलए अद्िुत शध तयां होना अधिकधित है;

4[(गग) "रधिस् रीकृत धचककत् सा व् यिसायी" से ऐसा व् यध त अधिप्रेत है,—

(i) धिसके पास िारतीय धचककत् सा उपाधि अधिधनयम, 1916 (1916 का 7) की िारा 3 में धिधनर्दणष् ट, या उसके अिीन अधिसूधचत, या िारतीय आयुर्िणज्ञान पररषद् अधिधनयम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूधचयों में धिधनर्दणष् ट, ककसी प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त कोई अहणता हो; अििा

(ii) िो ककसी राज् य में, धिस पर इस अधिधनयम का धिस् तार है, धचककत् सा व् यिसाधययों के रधिस् रीकरण के सम् ब ि में प्रिृत्त ककसी धिधि के अिीन, धचककत् सा व् यिसायी के रूप में रधिस् रीकरण होने का हकदार है;]

(घ) "ककसी धिज्ञापन के प्रकाशन में िाग लेना" के अ तगणत धनम् नधलधखत िी है,—

[1] 1963 के धिधनयम सं० 7 की िारा 3 और पहली अनुसूची द्वारा (1-10-1963 से) यह अधिधनयम पांधडचेरी पर धिस् ताररत ।
[2] 2019 के अधिधनयम सं० 34 की िारा 95 और पांचिी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) "िम्मू-कश्मीरराज्य के धसिाय" शब् दों का लोप ककया गया ।[3] 1 अप्रैल, 1955, देधखए अधिसूचना सं० का०धन०आ० 511, तारीख 26 फरिरी, 1955, िारत का राजपत्र, 1955, िाग 2, अनुिाग 3, पृ० 449 । [4] 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 2 द्वारा अंत:स् िाधपत ।

(i) धिज्ञापन का मुरण;

(ii) ऐसे राज् यक्षेत्रों के िीतर, धिन पर इस अधिधनयम का धिस् तार है, धनिास करने िाले ककसी व् यध त द्वारा या उसकी प्रेरणा से, उन राज् यक्षेत्रों के बाहर ककसी धिज्ञापन का प्रकाशन ।

[1]* * * * * *

3. कुछ रोगों और धिकारों की धचककत् सा के धलए कुछ ओषधियों के धिज्ञापन का प्रधतषेि—इस अधिधनयम के उपबंिों के अिीन रहते हुए, कोई व् यध त, ककसी ऐसे धिज्ञापन के प्रकाशन में िाग नहीं लेगा धिसमें ककसी ओषधि के प्रधत धनदेश ऐसे शब् दों में ककया गया है धिनसे यह िारणा बनती है या यह प्रकध पत है कक िह ओषधि धनम् नधलधखत के धलए प्रयोग में लाई िा सकती है,—

(क) धस् त्रयों का गिणपात कराना अििा स् ध त्रयों में गिणिारण का धनिारण; अििा

(ख) लैंधगक आन द के धलए मनुष् यों की क्षमता बनाए रखना या उसे बढाना; अििा

(ग) स् ध त्रयों के ऋतुस् राि धिकारों को ठीक करना; अििा

[2][(घ) अनुसूची में धिधनर्दणष् ट ककसी रोग, धिकार या दशा का, अििा ककसी ऐसे अ य रोग, धिकार या दशा (उसे चाहे िो कहा िाए) का, िो इस अधिधनयम के अिीन बनाए गए धनयमों में धिधनर्दणष् ट ककए िाएं, धनदान, रोगमुध त,उसमें कमी करना या उसकी धचककत् सा या धनिारण :

पर तु ऐसा कोई धनयम,—

(i) ककसी ऐसे रोग, धिकार या दशा के सम् ब ि में ही बनाया िाएगा, धिसके धलए, ककसी रधिस् रीकृत धचककत् सा व् यिसायी के परामशण से, समय पर धचककत् सा अपेधक्षत है या धिसके धलए सामा यतया कोई मा य उपचार नहीं हैं,

(ii) ओषधि और प्रसािन सामग्री अधिधनयम, 1940 (1940 का 23) के अिीन गरठत ओषधि तकनीकी सलाहकार बोडण से, और यकद के रीय सरकार आिश् यक समझे तो, आयुिेकदक या यूनानी धचककत् सा पद्धधतयों का धिशेष ज्ञान या व् यािहाररक अनुिि रखने िाले ऐसे अ य व् यध तयों से, धि हें सरकार ठीक समझे, परामशण करने के पश् चात् ही बनाया िाएगा ।]

4. ओषधियों के सम् ब ि में भ्रामक धिज्ञापनों का प्रधतषेि—इस अधिधनयम के उपब िों के अिीन रहते हुए, कोई व् यध त ककसी ओषधि के सम् ब ि में ककसी धिज्ञापन के प्रकाशन में िाग नहीं लेगा यकद उस धिज्ञापन में कोई ऐसी बात है,—

(क) धिससे उस ओषधि की िास् तधिक प्रकृधत के बारे में कोई धमथ् या िारणा प्रत् यक्षत: या अप्रत् यक्षत: बनती है; अििा

(ख) धिसमें उस ओषधि के धलए कोई धमथ् या दािा ककया गया है; अििा

(ग) िो अ यिा ककसी ताधविक धिधशष् ट में धमथ् या या भ्रामक है ।

5. कुछ रोगों और धिकारों की धचककत् सा के धलए चमत् काररक उपचारों के धिज्ञापन का प्रधतषेि—कोई व् यध त िो चमत् काररक उपचार करने की िृधत्त करता है या धिसका ऐसी िृधत्त करना तात् पर्यणत है, ककसी ऐसे चमत् काररक उपचार के, धिसमें प्रत् यक्षत: या अप्रत् यक्षत: यह दािा ककया गया है कक िह िारा 3 में धिधनर्दणष् ट प्रयोिनों में से ककसी के धलए प्रिािकारी है, ककसी धिज्ञापन के प्रकाशन में िाग नहीं लेगा ।

6. कुछ धिज्ञापनों के िारत में आयात या िारत से धनयाणत का प्रधतषेि—कोई व् यध त, ऐसे राज् यक्षेत्रों में, धिनमें इस अधिधनयम का धिस् तार है, ककसी ऐसी दस् तािेि का आयात, या उन राज् यक्षेत्रों से धनयाणत नहीं करेगा, धिसमें िारा 3, या िारा 4, या िारा 5 में धनर्दणष् ट प्रकार का कोई धिज्ञापन हो और ऐसे धिज्ञापनों िाली दस् तािेि ऐसा माल समझी िाएंगी धिसका आयात या धनयाणत सी कस् टम ऐ ट, 1878 (1878 का 8) की िारा 19 के अिीन प्रधतधषद्ध है और

उस अधिधनयम के सिी उपब ि तदनुसार प्रिािी होंगे,धसिाय इसके कक उसकी िारा 183 का प्रिाि इस प्रकार होगा मानो उसके अंग्रेिी पाठ में, "देगा" शब् द के स् िान पर "दे सकेगा" शब् द रखे गए हों ।

7. शाधस् त—िो कोई इस अधिधनयम 3[या तद् िीन बनाए गए धनयमों] के उपब िों का उ लंघन करेगा, िह, धसद्धदोष ठहराए िाने पर,—

(क) प्रिम दोषधसधद्ध की दशा में, कारािास से, धिसकी अिधि छह मास तक की हो सकेगी, या िुमाणने से, या दोनों से;

1 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 2 द्वारा खंड (ङ) का लोप ककया गया ।
2 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 3 द्वारा खंड (घ) प्रधतस् िाधपत ।
3 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 4 द्वारा अंत:स् िाधपत ।

(ख) ककसी पश् चात् िती दोषधसधद्ध की दशा में, कारािास से, धिसकी अिधि एक िषण तक की हो सकेगी, या िुमाणने से, या दोनों से,

दण् डनीय होगा ।

1[**8.** प्रिेश**,** तलाशी आकद की शध तयां—(1) इस धनधमत्त बनाए गए कक हीं धनयमों के उपब िों के अिीन रहते हुए, राज् य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राित्रधपत अधिकारी, उस क्षेत्र की स् िानीय सीमाओं के िीतर, धिसके धलए िह इस प्रकार प्राधिकृत है,—

(क) ककसी ऐसे स् िान में, धिसमें उसके पास यह धिश् िास करने का कारण है कक इस अधिधनयम के अिीन िहां कोई अपराि ककया गया है या ककया िा रहा है, ऐसे सहायकों के साि, यकद कोई हों, धि हें िह आिश् यक समझे, ककसी िी उधचत समय पर, प्रिेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) ऐसा कोई धिज्ञापन अधिगृहीत कर सकेगा, धिसके बारे में उसके पास यह धिश् िास करने का कारण है कक िह इस अधिधनयम के कक हीं उपब िों का उ लंघन करता है :

पर तु इस खण् ड के अिीन अधिग्रहण की शध त का प्रयोग, ककसी ऐसी दस् तािेि, िस् तु या चीि के धलए, धिसमें ऐसा कोई धिज्ञापन अ तर्िणष् ट है, उस दस् तािेि, िस् तु, या चीि की अ तिणस् तु सधहत, यकद कोई हो, ककया िा सकेगा, यकद िह धिज्ञापन इस कारण कक िह उत् कीर्णणत है या अ यिा, उस दस् तािेि, िस् तु, या चीि से उसकी समग्रता, उपयोधगता या धिक्रय मू य पर प्रिाि डाले धबना, अलग न ककया िा सकता है;

(ग) खण् ड (क) में उध लधखत ककसी स् िान में पाए गए ककसी अधिलेख, रधिस् टर, दस् तािेि या अ य ककसी िौधतक पदािण की परीक्षा कर सकेगा, और, यकद उसके पास यह धिश् िास करने का कारण है कक उससे इस अधिधनयम के अिीन दण् डनीय ककसी अपराि के ककए िाने का साक्ष् य प्राप् त हो सकता है तो, उसे अधिगृहीत कर सकेगा ।

(2) दंड प्रकिया संधहता,1898 (1898 का 5) के उपब ि इस अधिधनयम के अिीन ककसी तलाशी या अधिग्रहण को, यिाशक् य,िैसे ही लागू होंगे िैसे िे उ त संधहता की िारा 98 के अिीन िारी ककए गए िारण् ट के प्राधिकारी के अिीन ली गई ककसी तलाशी या ककए गए ककसी अधिग्रहण को लागू होते हैं ।

(3) िहां कोई व् यध त उपिारा (1) के खण् ड (ख) या खण् ड (ग) के अिीन ककसी िस् तु का अधिग्रहण करता है िहां िह,यिाशक् य शीघ्र, ककसी मधिस् रेट को उसकी इधत्तला देगा और उस िस् तु की अधिरक्षा के सम् ब ि में उससे आदेश प्राप् त करेगा ।]

9. कम् पधनयों द्वारा अपराि—(1) यकद इस अधिधनयम के कक हीं उपब िों का उ लंघन करने िाला कोई व् यध त कम् पनी है तो,प्रत् येक व् यध त, िो उस अपराि के ककए िाने के समय उस कम् पनी के कारबार के संचालन के धलए उस कम् पनी का िारसािक और उसके प्रधत उत्तरदायी िा, और साि ही िह कम् पनी िी, ऐसे उ लंघन के दोषी समझे िाएंगे और तदनुसार अपने धिरुद्ध कायणिाही ककए िाने और दंधडत ककए िाने के िागी होंगे :

पर तु इस उपिारा की कोई बात ककसी ऐसे व् यध त को इस अधिधनयम में उपबंधित ककसी दण् ड का िागी नहीं बनाएगी यकद िह यह साधबत कर दे कक अपराि उसकी िानकारी के धबना ककया गया िा अििा उसने ऐसे अपराि का धनिारण करने के धलए सब सम् यक् तत् परता बरती िी ।

(2) उपिारा (1) में ककसी बात के होते हुए िी, िहां इस अधिधनयम के अिीन कोई अपराि ककसी कम् पनी द्वारा ककया गया है तिा यह साधबत होता है कक अपराि कम् पनी के ककसी धनदेशक, प्रबंिक, सधचि या अ य अधिकारी की

सहमधत या मौनानुकूलता से ककया गया है, या उस अपराि का ककया िाना उसकी ककसी उपेक्षा के कारण माना िा सकता है, िहां ऐसा धनदेशक, प्रबंिक, सधचि या अ य अधिकारी िी उस अपराि का दोषी समझा िाएगा । और तदनुसार अपने धिरुद्ध कायणिाही ककए िाने और दधण् डत ककए िाने का िागी होगा ।

स् पष् टीकरण—इस िारा के प्रयोिन के धलए,—

(क)"कम् पनी" से कोई धनगधमत धनकाय अधिप्रेत है और इसके अ तगणत फमण या व् यधष् टयों का अ य संगम िी है;तिा

(ख) फमण के सम् ब ि में "धनदेशक" से उस फमण का िागीदार अधिप्रेत है ।

[2][**9क.** अपराि‍ों का संज्ञेय होना—दंड प्रकिया संधहता,1898 (1898 का 5) में ककसी बात के होते हुए िी, इस अधिधनयम के अिीन दंडनीय कोई िी अपराि संज्ञेय होगा ।]

10. अपराि‍ों का धिचारण करने की अधिकाररता—प्रेधसडे सी मधिस् रेट या प्रिम िगण मधिस् रेट से अिर कोई िी यायालय इस अधिधनयम के अिीन दंडनीय ककसी िी अपराि का धिचारण नहीं करेगा ।

[1] 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 5 द्वारा िारा 8 के स् िान पर
प्रधतस् िाधपत ।
[2] 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 6 द्वारा अंत:स् िाधपत ।

[1][**10क.** समपहरण—िहां कोई व् यधि त इस अधिधनयम या तद् िीन बनाए गए ककसी धनयम का उ लंघन करने के धलए ककसी यायालय द्वारा धसद्धदोष ठहराया गया है िहां िह यायालय यह धनदेश दे सकेगा कक कोई िी दस् तािेि (कोई समस् त प्रधतयों सधहत) िस् तु या चीि, धिसकी बाबत उ लंघन ककया गया है, उसकी अ तिणस् तु सधहत, िहां ऐसी अ तिणस् तु िारा 8 की उपिारा (1) के खण् ड (ख) के अिीन अधिगृहीत की िाती है िहां, सरकार को समपहृत हो िाएगी ।]

11. अधिकाररयों का लोक सेिक समझा िाना—िारा 8 के अिीन प्राधिकृत प्रत् येक व् यधि त िारतीय दण् ड संधहता (1860 का45) की िारा 21 के अिण में लोक सेिक समझा िाएगा ।

12. संरक्षण—कोई िाद, अधियोिन या अ य धिधिक कायणिाही ककसी िी ऐसी बात के बारे में, िो इस अधिधनयम के अिीन सद् िािपूिणक की गई है या की िाने के धलए आशधयत है, ककसी िी व् यधि त के धिरुद्ध न होगी ।

13. अ य धिषयों का प्रिाधित न होना—इस अधिधनयम के उपब ि तत् समय प्रिृत्त ककसी अ य धिधि के उपब ि‍ों के अधतरर त हैं न कक उनके अ पीकरण में ।

[2][**14.** व् याि‍ृधत्त—इस अधिधनयम की कोई िी बात धनम् नधलधखत को लागू नहीं होगी,—

(क) ककसी रधिस् रीकृत धचककत् सा व् यिसायी द्वारा अपने पररसरों में प्रदर्शणत कोई सूचना-पट या सूचना, धिसमें िह उपदर्शणत हो कक िारा 3, अनुसूची या इस अधिधनयम के अिीन बनाए गए धनयमों में धिधनर्दणष् ट कोई रोग, धिकार या दशा की धचककत् सा उन पररसरों में की िाती है; अििा

(ख) िारा 3 में धिधनर्दणष् ट ककसी धिषय पर सद् िािपूिणक िैज्ञाधनक अििा सामाधिक दृधष् टकोण से धलखी गई कृधत या पुस् तक; अििा

(ग) ककसी ओषधि के सम् ब ि में ऐसा कोई धिज्ञापन, िो केिल ककसी रधिस् रीकृत धचककत् सा िियसायी को, िारा 16 के अिीन धिधहत रीधत से, गुप् त रूप से िेिा गया हो; अििा

(घ) ककसी ओषधि के सम् ब ि में सरकार द्वारा मुकरत या प्रकाधशत कोई धिज्ञापन; अििा

(ङ) ककसी ओषधि के सम् ब ि में ओषधि और चमत् काररक उपचार (आक्षेपणीय धिज्ञापन) संशोिन अधिधनयम, 1963 (1963 का 42) के प्रारम् ि से पूिण, दी गई सरकार की पूिण मंिूरी से, ककसी व् यधि त द्वारा मुकरत या प्रकाधशत धिज्ञापन :

पर तु सरकार ऐसे कारणोंसे, िो लेखबद्ध ककए िाएंगे, उस मंिूरी को उस व् यधि त को कारण बताने का अिसर देने के पश् चात् िापस ले सकेगी ।]

15. अधिधनयम को लागू होने से छूट देने की शधि त—यकद के रीय सरकार की राय में लोकधहत इस बात की अपेक्षा करता है कक ककसी धिधनर्दणष् ट ओषधि या ओषधि-िगण के धिज्ञापन का [3][या ओषधि सम् ब िी धिज्ञापनों के ककसी धिधनर्दणष् ट िगण को,] अनुज्ञात ककया िाना चाधहए तो िह, रािपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह धनदेश दे सकेगी कक िारा 3, 4, 5 और 6 के उपबंि, अििा इनमें से कोई उपब ि, ऐसी ककसी ओषधि या ओषधि-िगण के धिज्ञापन[3][या ओषधि

सम् ब ि‍ी धिज्ञापनों के ऐसे ककसी िगण को,] या उसके सम् ब ि में,नहीं लागू होंगे या ऐसी शतों के अिीन रहते हुए लागू होंगे िो अधिसूचना में धिधनर्दणष् ट की िाएं ।

16. धनयम बनाने की शध त—(1) के रीय सरकार, इस अधिधनयम के प्रयोिनों को कायाणध ित करने के धलए धनयम, राि‍पत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) धिधशष् टतया और पूिणगामी शध त की व् यापकता पर प्रधतकूल प्रिाि डाले धबना, इन धनयमों में,—

(क) ऐसे ककसी [4][रोग, धिकार या दशा] को धिधनर्दणष् ट ककया िा सकता है धिसे िारा 3 के उपब ि लागू होंगे;

(ख) ऐसी रीधत धिधहत की िा सकती है, धिससे िारा 14,[5][***] के खण् ड (ग) में धनर्दणष् ट िस् तुओं या चीिों के धिज्ञापन गुप् त रूप से िेिे िा सकते हैं ।

[6][(3) इस अधिधनयम के अिीन बनाया गया प्रत् येक धनयम, बनाए िाने के पश् चात् यिाशीघ्र, संसद् के प्रत् येक सदन के समक्ष,िब िह सत्र में हो, कुल तीस कदन की अिधि के धलए रखा िाएगा । यह अिधि एक सत्र में अििा दो या अधिक आनुिधमक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यकद उस सत्र के, धिसमें िह इस प्रकार रखा गया है, या पूिो त आनुिधमक सत्रों के, अिसान के पूिण दोनों सदन उस धनयम में कोई पररितणन करने के धलए सहमत हो िाएं तो तत् पश् चात् िह ऐसे पररिर्तणत रूप में ही प्रिािी होगा । यकद उ त अिसान के पूिण दोनों सदन सहमत हो िाएं कक िह धनयम नहीं बनाया िाना चाधहए तो तत् पश् चात् िह धनष् प्रिाि हो िाएगा । कक तु धनयम के ऐसे पररिर्तणत या धनष् प्रिाि होने से उसके अिीन पहले की गई ककसी बात की धिधिमा यता पर प्रधतकूल प्रिाि नहीं पडेगा ।]

[1]1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 7 द्वारा अंत:स् िाधपत ।
[2] 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 8 द्वारा िारा 14 के स् िान पर प्रधतस् िाधपत ।
[3] 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 9 द्वाराअंत:स् िाधपत ।
[4] 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 10 द्वारा “रोग या दशा” के स् िान पर प्रधतस् िाधपत । [5] 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 10 द्वारा “उपिारा (1) की” शब् दों का लोप ककया गया ।[6] 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 10 द्वारा अंत:स् िाधपत ।

[1][अनुसूची

िारा **3**(घ) और िारा **14**

देधखए] िम सं० रोग, धिकार या दशा का नाम

1	2
1.	एपेध डसाइरटस
2.	िमनी-कारठ य
3.	अंिापन
4.	र त धिषा तता
5.	ब्राइट रोग
6.	कै सर
7.	मोधतयाधब द
8.	बधिरता
9.	मिुमेह
10.	मधस् तष् क के रोग और धिकार
11.	दृधष् ट तंत्र के रोग और धिकार
12.	गिाणशय के रोग और धिकार
13.	ऋतुस् त्राि के धिकार
14.	तंधत्रका तंत्र के धिकार
15.	पुर:स् ि ग्रंििीय धिकार
16.	ड्राप् सी
17.	अपस् मार
18.	स् त्री रोग (सामा य)
19.	ज् िर (सामा य)
20.	दौरे
21.	स् त्री िक्ष का रूप और उसकी संरचना

22. धपत्ताश् मरी, िृ क अश् मरी और मूत्राशय अश् मरी
23. कोढ
24. सबलबाय
25. घेंघा
26. हृदय रोग
27. ऊंचा या नीचा र तचाप
28. हाइड्रोसील
29. धहस् टीररया
30. धशशु लकिा

1 1963 के अधिधनयम सं० 42 की िारा 11 द्वारा अंत:स् िाधपत ।

1	2
31.	उ मत्तता
32.	कुष् ठ
33.	यूकोडमाण
34.	हनुस् तम् ि
35.	चलन अन िय (लोकोमोटर) अटैध सया
36.	यूपस
37.	तंधत्रकीय दौबण य
38.	स् िूलता
39.	लकिा
40.	प् लेग
41.	प् लूररसी
42.	युमोधनया
43.	आमिात
44.	धिदार
45.	यौन नपुंसकता
46.	चेचक
47.	व् यध तयों का कद
48.	धस् त्रयों में बांझपन
49.	रोहे
50.	यक्ष् मा
51.	अबुणद
52.	आयफाइड ज् िर
53.	गैस् रो इंटेस् टाइनल रै ट के व्रण
54.	रधति रोग, धिसके अ तगणत धसफधलस, सूिाक, मृदु शेंकर, रधति काणीकागु म और लसीका काणीकागु म है ।]